

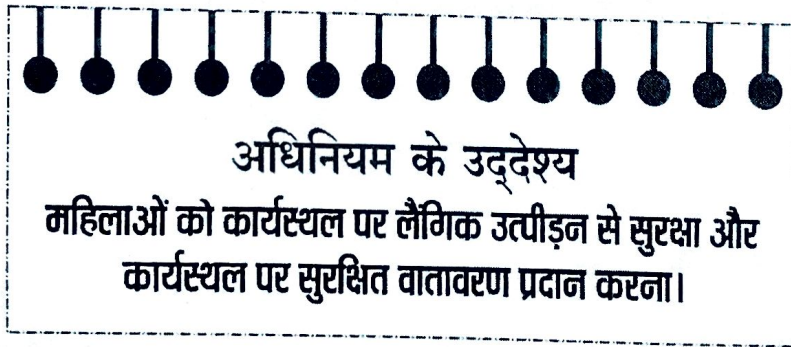


शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वालियर (म.प्र.)

आंतरिक परिवाद समिति Internal Complaints Committee

डॉ. उपासना भारद्वाज (प्रभारी प्रोफे.)	पीठासीन अधिकारी	मोबा. : 9406502976
डॉ. शगुपता बानो (रीडर)	सदस्य	मोबा. : 9926745786
डॉ. अकीला बेगम (रीडर)	सदस्य	मोबा. : 9406968544
डॉ. मृदुल मिश्रा (रीडर)	सदस्य	मोबा. : 8827322600
श्री सुरेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता (जन स्वास्थ्य संगठन)	सदस्य	मोबा. : 8839947800

महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013



अधिनियम के उद्देश्य

महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा और
कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं : (धारा 21)

यौन संबंधित कोई अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कैसे दर्ज करें :

व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 03 महीने (90 दिन)
के अंदर लिखित शिकायत आंतरिक परिवाद समिति में कर सकती है।



WOMEN HELPLINE : 1090, 1091

